न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 60/2018 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1 राजेन्द्र कुमार पिता भंवरलाल जैन उम्र वयस्क निवासी जी–10 बसन्त विहार, भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा

2 राजेश कुमार पिता रतनलाल सामर उम्र वयस्क निवासी बी–11 बसन्त विहार, भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा

3 रामगोपाल पिता रामचन्द्र शर्मा (ब्राहमण) उम्र वयस्क निवासी करजालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

.... **प्रार्थीगण**

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 .....

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी**
पैरोकार सरकार........विपक्षी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 15.03.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्व विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम रायला भु.अ.निरीक्षक रायला तहसील बनेडा की आराजी संख्या 799 रकबा 06–07 बीघा मे से तत्कालिन खातेदार श्री हीरा पिता देवा तेली निवासी रायला का 1/2 हक हिस्सा एंव शेष आराजी का 1/2 हिस्से मे से 1/9 हिस्सा निहित था, व उपरोक्त हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाज़न कराने जाने आशय का एक वाद श्रीमान न्यायालय के यंहा प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 15/2003 होकर श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र में तहसीलदार बनेडा द्वारा तैयार किये गये विभाजन स्कीम अनुसार दिनांक 24.10.2003 से वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर अन्तिम डिक्री प्रदत्त की गई। अन्तिम डिक्री व तैयार विभाजन प्रस्ताव व उसके साथ संलग्न तरमीम नक्शा ट्रेस के मुताबिक ही सम्बधित हल्का पटवारी को राजस्व रेकार्ड में अंकन करना चाहीए था, किन्तु विभाजन डिक्री व विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन नही कर त्रूटीपूर्ण अंकन कर दिया जो बंटवाडा प्रस्ताव तरमीम नक्शा ट्रेस एंव अन्तिम डिक्री तथा वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश नक्शे में गलत तरमीम कर दी गयी है उक्त लिपिकीय त्रुटी आजदिनांक तक अनवरत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

अतः ग्राम रायला भु.अ.निरीक्षक रायला तहसील बनेडा स्थित आराजी संख्या 799 रकबा 06–07 बीघा मे से तत्कालिन खातेदार श्री हीरा पिता देवा तेली निवासी रायला का 1/2 हक हिस्सा एंव शेष आराजी का 1/2 हिस्से मे से 1/9 हक हिस्से को नक्शे में दिनांक 16.09.2003 को न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार बनेडा द्वारा तैयार किये गये विभाजन स्कीम व सलंग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 13.03.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। न्यायालय द्वारा नियत सुनवाई दिनांक 15.02.2018 को विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा ने प्रार्थीगण के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ती होना जाहीर नही करते हुए अपनी और से आदेशिक पर इसका अंकन करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये। उपस्थित उभयपक्षों को सुना गया। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य/सबूत के तौर पर प्रस्तुत आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजी पर अध्ययन व मेरिट पर परिक्षण पश्चात प्रार्थीगण का प्रा.पत्र सहमति से प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर, न्याय हित में स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट सहमति से विरुद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार रायला को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम रायला भु.अ.निरीक्षक रायला तहसील बनेडा स्थित आराजी संख्या 799 रकबा 06–07 बीघा मे से तत्कालिन खातेदार श्री हीरा पिता देवा तेली निवासी रायला का 1/2 हक हिस्सा एंव शेष आराजी का 1/2 हिस्से मे से 1/9 हक हिस्से को नक्शे में दिनांक 16.09.2003 को न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित प्राथमिक डिकी की अनुपालना में तहसीलदार बनेडा द्वारा तैयार किये गये विभाजन स्कीम व सलंग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व नक्शे में संशोधित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

क्रमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 60/2018 — दिनांक 15.03.2018

प्रतिलिपि मय वक्त विभाजन साबिक नक्शा ट्रेस–

नायब तहसीलदार रायला को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश व वक्त विभाजन साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी व दुरुस्त नक्शा ट्रेस सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा,
जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)